(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1927–तीन/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–05–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–541/अपील/2001–02.

.....

1– शासन म0प्र0 द्वारा प्रधानाध्यपक शासकीय पूर्व
मध्यमिक विद्यालय ग्राम लौआ उर्फ लक्ष्मणपुर, तह0 हुजूर
जिला–रीवा (रीवा)

2– पालक संघ अध्यक्ष श्री बीरेन्द्र सिंह
निवासी–ग्राम लौआ उर्फ लक्ष्मणपुर, तह0 हुजूर
जिला–रीवा (रीवा)

————————आवेदकगण

विरूद्ध

परमेश्वरदीन जयसवाल तनय स्व0 श्री शारदा जयसवाल
निवासी– ग्राम लौआ उर्फ लक्ष्मणपुर, तह0 हुजूर
जिला–रीवा (रीवा)

————————अनावेदक

.....

श्री एच0के0 अग्रवाल, पैनल अभिभाषक, आवेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/7/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 541/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 17–05–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम लौआ उर्फ लक्ष्माणपुर तहसील हुजूर, जिला–रीवा मत0प्र0 में स्थित विवादित भूमि खसरा क्र0 1252 रकबा 0.21 एकड़, 1253 रकबा 0.10 एकड़ जुमला रकवा 0.31 एकड़ शासन म0प्र0 की भूमि है । खसरा क्र0 1252 रकवा 0.21 एकड़ में शासकीय माध्यमिक विद्यालय का भवन बना हुआ तथा खसरा क्र0 1253 रकव 0.10 एकड़ में छात्रों के खेलने का मैदान था । जिसमें अनावेदक द्वारा भवन का निर्माण किया जाने लगा जिसकी आपत्ति आवेदक द्वारा की गई तथा न्यायालय तहसीलदार रीवा के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसमें न्यायालय तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और पारित आदेश दिनांक 04.02.1969 को अपील स्वीकार कर ली गई । उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के यहॉ द्वितीय अपील पेश की गई । न्यायालय अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधिसंगत न मानते हुये आदेश निरस्त कर दिया तथा आदेश दिनांक 17–05–2006 को अनावेदक के द्वारा पेश की गई अपील को स्वीकार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 17–05–2006 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ पैनल अभिभाषक द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया, जो निगरानी मेमों है।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि एक शिकायती आवेदन पत्र पर कुछ लोगों ने तहसीलदार के यहां प्रस्तुत किया। जहॉ पर तहसीलदार ने प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर अनावेदक का कच्चा मकान बना पाया गया । जिस पर तहसीलदार ने अनावेदक को अतिक्रामक नहीं माना है । अनावेदक द्वारा जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने अतिक्रामक मानते हुये आदेश पारित किया । इसी आराजी का विवाद अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में शारदा बनाम शासन, प्रकरण क्रमांक 66/अ/68–69 में पारित आदेश दिनांक 04.02.69 की द्वारा अपील स्वीकार की गई । उन्होंने तर्क में यह भी बताया है कि वर्ष 1987–1988 से 1991–1992 के खसरों में इतिलायाबी दर्ज है । कलेक्टर रीवा ने आबादी की भूमि घोषित किया है । सरपंच ने प्रमाण–पत्र दिया है कि पूर्व में मकान बना हुआ था । व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11

स्टॉपल का सिद्धांत लागू होता है । धारा 248 का मामला नहीं चल सकता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधसंगत न होने से निरस्त किया जावे ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकगणों के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम लौआ उर्फ लक्ष्मणपुर तहसील हुजूर जिला–रीवा म0प्र0 में स्थित भूमि खसरा क्र0 1252 रकबा 0.21 ए0, 1253 रकबा 0.10 ए0, जुमला रकबा 0.31 ए0 शासकीय भूमि है और खसरा क्र0 1252 रकबा 0.21 ए0 पर विद्यालय भवन बना हुआ है तथा खसरा क्र0 1253 रकबा 0.10 ए0 में छात्रों के खेलने का मैदान है । दोनों खसरा नं0 एक–दूसरे से मिले–जूले है । खसरा क्र0 1253 रकबा 0.10 ए0 है जिसमें अनावेदक द्वारा भवन का निर्माण किया जाने लगा । जिसकी आपत्ति आवेदक के द्वारा की गई तथा अनावेदक के विरूद्ध तहसीलदार तह0 हुजूर, जिला–रीवा के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया । तहसील न्यायालय ने आवेदन निरस्त कर दिया । जिसके विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जहॉ अपील स्वीकार कर अनावेदक को अतिक्रामक माना गया है । अनावेदक ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील पेश की गई, अनावेदक के पक्ष में अपील स्वीकार की गई । जिसके विरूद्ध आवेदक ने इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है ।

6/ न्यायालय तहसील ने मात्र पटवारी प्रतिवेदन, राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन तथा पंचनामा के आधार पर अनावेदक को अतिक्रामक नहीं माना है । जबकि विचारण न्यायालय को पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कथन कराना आवश्यक था, तभी पटवारी राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन एवं पंचनामा मान्य योग्य था । इसके अलावा अनावेदक द्वारा पुरानी निर्माण बावत् कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। चूँकि अनावेदक ने उक्त प्रकरण में पुराने निमार्ण बावत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तो किस आधार पर तहसील न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.03.02 को आदेश पारित कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

7/ मध्यप्रदेश भू0राजस्व संहिता की धारा ~~2048~~ में यह प्रावधान है कि यदि सन् 1970 के पूर्व कोई भवन शासकीय भूमि में निर्मित है तो उसमें धारा 248 के प्रावधान लागू नहीं होगें

बल्कि दखलरहित भूमि अधिनियम सन् 1970 के प्रावधान लागू होगें । अनावेदक द्वारा सन् 1970 के पूर्व कोई दस्तावेज भवन निर्माण के संबंध में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. मात्र मौखिक रूप से तर्क प्रस्तुत करने से विचारण न्यायालय को मौखिक तौर पर कही बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिये था । मध्यप्रदेश भू0राजस्व संहिता की धारा 243 के प्रावधानों के तहत आबादी के लिये, जिनके पास कोई भवन व भूमि नहीं थी, उन्हें बसने हेतु मात्र 12X15 मी0 के प्लाट का आवंटन हो सकता है । चूँकि अनावेदक के पास पुस्तैनी भूमि है जो ग्राम लौआ लक्ष्मणपुर में स्थित है । इस कारण भी आबादी का भी लाभ अनावेदक को प्राप्त नहीं हो सकता । अपर आयुक्त ने इस बिन्दु पर विचार किये बिना ही दिनांक 17.05.2006 को आदेश पारित कर दिया जो कि त्रुटिपूर्ण है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित किया गया त्रुटिपूर्ण है, जिसे निरस्त किया जाता है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश विधिनुकूल होने से उसे स्थिर रखा जाता है । ~~अतः प्रकरणों का निकारण गुण दोषों के आधार पर किया जाना चाहिये~~ ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.